कार्यालय प्रधान मुख्य वन संरक्षक, छत्तीसगढ़, अरण्य भवन, मेडिकल कॉलेज रोड, रायपुर
(अपर प्रधान मुख्य वन संरक्षक — भू–प्रबंध)
दूरभाष: 0771 – 2552233 ई – मेल: apccf-lm.cg@gov.in

क्र0/भू–प्रबंध/विविध/115–578/2803 रायपुर, दिनांक 23/11/2016

प्रति,

अपर प्रधान मुख्य वन संरक्षक (क्षेत्रीय)
भारत सरकार – पर्यावरण, वन एवं जलवायु परिवर्तन मंत्रालय
क्षेत्रीय कार्यालय – वेस्ट सेन्ट्रल रीजन
ईस्टर्न विंग – भू तल, न्यू सेक्रेटेरियेट भवन – VCA के सामने
सिविल लाईन, नागपुर – 440001

विषय:– **Diversion of forest land for non-forest purpose under Forest Conservation Act, 1980 coming under Widening and upgradation of NH-49 to 2 lane with paved shoulder from Bilaspur-Odhisa Border, Area - 15.463.-Regarding.**
– **पंजीयन क्रमांक/ FP/CG/ROAD/16728 / 2015**

संदर्भ:– 1. भारत सरकार, पर्यावरण, वन एवं जलवायु परिवर्तन मंत्रालय, क्षेत्रीय कार्यालय, नागपुर का पत्र क्रमांक /FC-II/CH-49/ 2016-NGP/ 1006 दिनांक 28.10.2016.
2. मुख्य वन संरक्षक, बिलासपुर वृत्त का पत्र क्रमांक/ तक अधि/2100 दिनांक 18.011.2016

–0–

विषयांतर्गत संदर्भित पत्रों का अवलोकन करने का कष्ट करें।

संदर्भित पत्र – 1 द्वारा भारत सरकार (MoEF&CC), क्षेत्रीय कार्यालय, नागपुर द्वारा 12 बिन्दुओं की अतिरिक्त जानकारी चाही गई थी।

संदर्भित पत्र – 2 के माध्यम से उक्त जानकारी मुख्य वन संरक्षक, बिलासपुर वृत्त द्वारा बिन्दुवार जानकारी प्रेषित की गई है, जो निम्नानुसार है:–

वि.क्र.	आपत्ति	पालन प्रतिवेदन
i	Complete hard copy of Form-A not submitted, as Part-II and Part-III submitted online, have not been submitted along with the proposal. Further, Part--II submitted by all three DCFs along with proposal were observed to be deficient in its content (Raigarh Division in particular), especially in respect of abstract details of flora and fauna of area, CA details, progress of CA, etc. Revised Part-II clearly providing the abstract information against each column may be submitted. Further, revised Form-A indicating the names of the Officers who have signed the Part-I to Part-V may be submitted along with the reasons for recommendation of the proposal.	फार्म A के भाग–2 में आवश्यक सुधार कर संलग्न है। (अनुलग्नक–1)
ii	Area calculation statement and item wise requirement of forest area for various road components may be submitted.	आवेदित वन क्षेत्र का गणना पत्रक भू–खण्ड वार संलग्न है। (अनुलग्नक –2)
iii	Shape files of the area proposed for diversion as well as area identified for raising CA have not been submitted along with the proposal.	आवेदित क्षेत्र का Shape File प्रस्ताव के साथ संलग्न किया गया था। सुलभ संदर्भ हेतु पुनः संलग्न है। (अनुलग्नक –3)
iv	The State Government, in its forwarding letter has reported the density of the area proposed for diversion as 0.2 to 0.4 in all three Divisions while as per details furnished in Part-II submitted online	आवेदित वन क्षेत्र का घनत्व 0 से 0.4 है। वन मण्डलवार एवं भू–खण्डवार घनत्व का विवरण पृथक–पृथक संलग्न है। (अनुलग्नक –4)

	by the concerned DCFs, the density has been reported as 0.3 to 0.4. Therefore, division wise, exact details of forest patches along with density may be submitted by the State Government along with the field inspection notes of DFO concerned.	
v	Further, as per details of project affected trees in Part-II submitted online, the total number of affected trees is 478 while the documents submitted along with the proposal mentioned number as 481. Further, no project affected trees have been reported in the Janjgir-Champa Forest Division. However, examination of the linear KML file over Google satellite imagery revealed tree growth especially in sections where structure or re-alignments have been proposed by the User Agency. Therefore, it is desirable that a consolidated kml file and shape file clearly depicting the proposed RoW, re-alignments, forest land (PF, RF and Rev forests), non-forest land and other structure all through the length of road may be provided by the State Government along with the exact number of project affected trees.	आवेदित वन भूमि में कुल 481 वृक्षों का विदोहन किया जाना है। चूंकि Forest Clearance के वेब पोर्टल में 31 सेमी. से ऊपर के वृक्षों को Entry किये जाने का प्रावधान है जिसके कारण 31 सेमी. से नीचे के 03 वृक्षों को दर्ज नहीं किया जा सका। जांजगीर–चॉपा वनमण्डल के अंतर्गत प्रस्तावित खसरा क्रमांक 424/1 में दर्शित वृक्ष सीमा से बाहर हैं, जिसे काटने की आवश्यकता नहीं है। खसरा क्रमांक 389 एवं 952/9 में दर्शित घनत्व वृक्ष नहीं बल्कि झाड़ी है। शेष राजस्व वनभूमि में कोई भी वृक्ष नहीं है। छायाप्रति संलग्न है। **(अनुलग्नक –5)** आवेदित क्षेत्र का शेप फाईल एवं के.एम.एल. फाईल संलग्न है।
vi	The State Government may also provide, details of re-alignments, if any propose in the forest area and in case the same has been proposed in the forest area a tabular statement listing total no. of proposed realignment of the road in the forest area, total no. of trees involved and the number of trees proposed for felling in these re-alignments, details of number of trees, if widening is taken up along the existing carriageway. A comparative statement indicating the length of the road and number of trees involved in both the alignments may be submitted.	आवेदक संस्थान का निर्धारित प्रपत्र में प्रतिवेदन संलग्न है। **(अनुलग्नक –6)**
vii	An area of 2.783 ha of Revenue Forest land, appears to be incorrectly indicated as CA land in Part-II submitted online in respect of Janjgir-Champa Division. The same may be rectified.	आनलाईन पोर्टल के भाग–2 में त्रूटिवश क्षतिपूर्ति वृक्षारोपण हेतु प्रस्तावित स्थल के स्थान पर 2.783 हे. अंकित हो गया था। चूंकि क्षतिपूर्ति वृक्षारोपण हेतु स्थल का चयन बिलासपुर वनमण्डल में किया गया है। छायाप्रति संलग्न है। **(अनुलग्नक –7)**
viii	Exact details of CA area may be uploaded on the website and exact legal status of the land with respect to its ownership may also be communicated. Further, patch of 31.0 ha appears to be surrounded by the agricultural fields. The comments of the State Government to prevent likely encroachment on the land needs to be submitted.	वनमण्डलाधिकारी बिलासपुर वनमण्डल के प्रतिवेदन अनुसार क्षतिपूर्ति वृक्षारोपण हेतु प्रस्तावित नारंगी वनखण्ड चोरभट्टी (कला) के खसरा नम्बर 51, 52, 153 एवं 155 रकबा क्रमशः 4.008, 4.450, 10.320 तथा 12.222 कुल 31.000 हेक्टेयर पर अतिक्रमण नहीं होने का उल्लेख किया गया है। छायाप्रति संलग्न है। **(अनुलग्नक –8)**
ix	Further, as per the provision of the component of CA scheme, the State Government has incorporated the provision of protection for 10 years. However, the provisions further needs to be elaborated to confirm if the provisions of protection incorporates watchman and fencing also.	क्षतिपूर्ति वृक्षारोपण हेतु 10 वर्षीय योजना तैयार की गई है, जिसमें सुरक्षा हेतु फेंसिंग एवं चौकीदार का प्रावधान रखा गया है। छायाप्रति संलग्न है। **(अनुलग्नक –9)**
x	As per details furnished along with the proposal, the area is inhabited by the Schedule-I species	मुख्य वन संरक्षक (वन्यप्राणी) बिलासपुर वृत्त बिलासपुर

	such as Four Horned Antelope, Sloth Bear and Indian Pangolin, comments of the PCCF (WL) may be obtained especially on the requirement of special crossing points, if required to be provided, and other conservation and protection measures for wildlife.	के कार्या. पत्र क्रमांक/व.प्रा./मा.चि./2583 दिनांक 18.11.2016 द्वारा प्रधान मुख्य वन संरक्षक (वन्यप्राणी) छत्तीसगढ़, रायपुर को Schedule -1 के वन्यप्राणी पाये जाने के फलस्वरूप प्रतिवेदन टिप्पणी के लिए लेख किया गया है। छायाप्रति संलग्न है। (अनुलग्नक –10)
xi	Complete compliance of Scheduled Tribes and Other Traditional Forest Dwellers (Recognition of Forest Rights) Act, 2006 has not been submitted as the District Collector, Raigarh has not certified all the clauses of the MoEF&CC's advisory dated 5.07.2013 rather he has issued a certificate in changed format which is not permissible. Similarly, resolution in respect of villages namely Amlibhauna, in Raigarh District has also not been submitted. Moreover, the records of consultations and meeting of the Sub-Divisional Committee(s) of the all three districts have also not submitted along with the compliance.	आवेदित क्षेत्र में अनुसूचित जनजाति और अन्य परम्परागत वनवासी (वन अधिकारों की मान्यता) अधिनियम 2006 के तहत् वन अधिकार मान्यता पत्र संबंधित कलेक्टर एवं Sub Divisional Committee का प्रमाण पत्र संलग्न है। (अनुलग्नक –11)
xii	Cross-sectional map of the road showing the existing RoW, proposed RoW may also be submitted. A SOI toposheet on appropriate scale depicting the complete road alignment may also be submitted.	प्रस्तावित रोड Cross-sectional map, Plan Profile एवं सर्वे ऑफ इंडिया के 1:50000 स्केल के मानचित्र में प्रस्तावित सड़क को चिन्हांकित कर संलग्न है। (अनुलग्नक –12)

उपरोक्तानुसार प्रतिवेदन को मान्य करते हुए एवं दिनांक 28.11.2016 को आयोजित आर.ई.सी की बैठक में विचारार्थ रखकर सैद्धांतिक स्वीकृति जारी करने का कष्ट करें।

संलग्न :– उपरोक्तानुसार

(मुदित कुमार सिंह)
अ.प्र.मु.व.स (भू–प्रबंध /व. स. अ)
छत्तीसगढ़

पृ. क्रमांक/भू–प्रबंध/विविध/115–578/2804 रायपुर, दिनांक 23/11/2016

प्रतिलिपि सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतुः

1. प्रमुख सचिव, छत्तीसगढ़ शासन, वन विभाग, मंत्रालय, महानदी भवन, नया रायपुर।

संलग्नः–उपरोक्तानुसार

1. मुख्य वन संरक्षक, बिलासपुर वृत्त, बिलासपुर, छत्तीसगढ़।
2. वन मंडलाधिकारी, रायगढ़ / बिलासपुर / जांजगीर–चांपा वन मंडल छत्तीसगढ़।
3. मुख्य अभियंता, लोक निर्माण विभाग, राष्ट्रीय राजमार्ग, परिक्षेत्र रायपुर – 492001 (छ.ग)।

वर्तमान में किसी भी प्रकार की वन भूमि पर कार्य प्रारंभ करने की अनुमति नहीं है।

अ.प्र.मु.व.स (भू–प्रबंध /व. स. अ)
छत्तीसगढ़

Letter Vividh 2016 (i)

कार्यालय प्रधान मुख्य वन संरक्षक, छत्तीसगढ़, अरण्य भवन, मेडिकल कॉलेज रोड, रायपुर
(अपर प्रधान मुख्य वन संरक्षक – भू–प्रबंध)
दूरभाष 0771 2552233
ई – मेल apccf-lm.cg@gov.in

क्र. भू–प्रबंध/विविध/115–578/ 130
प्रति,

रायपुर, दिनांक 12/01/2017

अपर प्रधान मुख्य वन संरक्षक (क्षेत्रीय)
भारत सरकार – पर्यावरण वन एवं जलवायु परिवर्तन मंत्रालय
क्षेत्रीय कार्यालय – वेस्ट सेन्ट्रल रीजन
ईस्टर्न विंग – भू तल, न्यू सेक्रेटेरियट भवन – VCA के सामने
सिविल लाईन, नागपुर – 440001

विषय.– Diversion of forest land for non-forest purpose under Forest Conservation Act, 1980 coming under Widening and upgradation of NH-49 to 2 lane with paved shoulder from Bilaspur-Odhisa Border, Area - 15.463 - regarding.
पंजीयन क्रमांक/ FP/CG/ROAD 16728 / 2015

संदर्भ:– 1 भारत सरकार, पर्यावरण वन एवं जलवायु परिवर्तन मंत्रालय, क्षेत्रीय कार्यालय, नागपुर का पत्र क्रमांक FC-II CH-49/2016-NGP/1183 दिनांक 28.12.2016.
2 कार्यालयीन पत्र क्रमांक/भू–प्रबंध/विविध/115–578/2869 दिनांक 03.12.2016
3 वन मंडलाधिकारी, रायगढ़ वन मंडल का पत्र क्रमांक/ मा.चि. अधि/178 दिनांक 05.01.2017

–0–

विषयांतर्गत संदर्भित पत्रों का अवलोकन करने का कष्ट करें।

संदर्भित पत्र – 1 द्वारा भारत सरकार (MoEF&CC), क्षेत्रीय कार्यालय, नागपुर द्वारा Scheduled Tribes and Other Traditional Forest Dwellers (Recognition of Forest Rights) Act, 2006 from the State Government i.e. resolution in respect of the village Amlibhauna in Raigarh District से संबंधित अतिरिक्त जानकारी चाही गई थी।

संदर्भित पत्र – 3 के माध्यम से उक्त जानकारी वन मंडलाधिकारी, रायगढ़ वन मंडल द्वारा प्रेषित की गई है (प्रदर्श –अ)।

भारत सरकार, क्षेत्रीय कार्यालय, नागपुर के संदर्भित पत्र – 1 के बिन्दु – 2 अनुसार चाही गयी जानकारी कार्यालयीन पत्र क्रमांक/भू–प्रबंध/विविध/115–578/2869 दिनांक 03.12.2016 से प्रेषित की गयी है।

तदनुसार रायगढ़ वन मंडल से प्राप्त प्रतिवेदन को मान्य करते हुए प्रकरण में सैद्धांतिक स्वीकृति जारी करने का कष्ट करें।

संलग्न :– उपरोक्तानुसार

(मुदित कुमार सिंह)
अ.प्र.मु.व.स (भू–प्रबंध /व. स. अ)
छत्तीसगढ़

पृ. क्रमांक/भू–प्रबंध/विविध/115–578/ 131 रायपुर दिनांक 12/01/2017

प्रतिलिपि सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु:

1 प्रमुख सचिव, छत्तीसगढ़ शासन, वन विभाग, मंत्रालय, महानदी भवन, नया रायपुर।
संलग्न – उपरोक्तानुसार

1 मुख्य वन संरक्षक, बिलासपुर वृत्त, बिलासपुर, छत्तीसगढ़।
2 वन मंडलाधिकारी, रायगढ़ वन मंडल, रायगढ़, छत्तीसगढ़।
3 मुख्य अभियंता, लोक निर्माण विभाग, राष्ट्रीय राजमार्ग परिक्षेत्र रायपुर – 492001 (छ.ग.)।

वर्तमान में किसी भी प्रकार की वन भूमि पर कार्य प्रारंभ करने की अनुमति नहीं है।

अ.प्र.मु.व.स (भू–प्रबंध /व. स. अ)
छत्तीसगढ़